प्रतिपूरक वनीकरण करने सम्बन्धी बचनवद्धता

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयीार की गई योजना के अनुसार सरंक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता के रूप में एस्सार ऑल लिमिटेड सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध करायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या भारत सरकार या माननीय न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों का भी अनुपालन पूर्ण रूपेण किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग
हाथरस

क्षेत्रीय वनाधिकारी
सादाबाद रेन्ज

For Essar Oil Ltd.

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एस्सार ऑयल लिमिटेड मथुरा–सादाबाद रोड पर स्टोन किमी0 44 से 45 के मध्य पर खसरा सं0 10/2, 11/2 ग्राम सादाबाद, तहसील सादाबाद, जिला हाथरस पर रिटेल आउटलेट का निर्माण प्रस्तावित है। उक्त प्रतिष्ठान के आवागमन के लिए हाथरस वन प्रभाग की 0.0591 है0 संरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है, जोकि न्यूनतम है और उक्त प्रतिष्ठान को क्रियान्वयन करने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
सादाबाद रेन्ज

For Essar Oil Ltd.

प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग
हाथरस

एस्सार ऑयल लिमिटेड

कार्यालय
वरिष्ठ प्रभागीय प्रबन्धक
एस्सार ऑयल लिमिटेड
आगरा

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अपेक्षित वन भूमि की मांग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध एवं सम्भव नही है।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मुरादाबाद रेन्ज

For Essar Oil Ltd.

प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग
हाथरस

एस्सार ऑयल लिमिटेड

कार्यालय
वरिष्ठ प्रभागीय प्रबन्धक
एस्सार ऑयल लिमिटेड
आगरा

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि का भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जो भी मूल्य निर्धारित किया जायेगा उसका भुगतान एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग को कर दिया जायेगा।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
सादाबाद रेन्ज

For Essar Oil Ltd.

प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग
हाथरस

लीज तथा लीज अवधि

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना हेतु वांछित भूमि लीज पर हस्तान्तरित किये लोन की आवश्यकता नहीं है। अतः लीज अवधि प्रमाण पत्र लागू नहीं होता है। प्रश्नगत संरक्षित वन भूमि पर केवल निम्न बिन्दुओं पर अनुमति की आवश्यकता है।

1. रिटेल आउटलेट की स्थापना में सम्पर्क मार्ग के लिये, जो संरक्षित वन है, उसके गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
सादाबाद रेन्ज

For Essar Oil Ltd.

प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग
हाथरस

मानक शर्तें:—

(वन अनुभाग —3 उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या 7314 / 14—3—1980 / 02) दिनांक 31.12.84 द्वारा निर्धारित

- भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और व पूर्व की भाँति सुरक्षित / आरक्षित वन भूमि वनी रहेगी।
- प्रश्न भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं
- याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
- भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है।
- हस्तांन्तरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को कराना होगा।
- भूमि काक सीमांकनक याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देखरेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये बये मुनारे आदि की देखभाल करेगा।
- हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्ताक्षर विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- बहुमूल्य वन सम्पना से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ण एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
- याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोन करने नर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर कर भुगतान किये वन विभाग को वापिस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग प्रत्यावर्तित हो जायेगा।
- वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगी जो याचक विभाग को मान्य होगा।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
सादाबाद रेन्ज

प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग
हाथरस

For Essar Oil Ltd.

- हस्तान्तरित भूमि में पडने वाने वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण के भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किये जाने का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर वृक्षों का पातन निबद्ध है। इसी प्रकरण बॉज (   ) के पेड़ों का पातन वर्जित है। ऐसे वृक्षों का पातन का निरीक्षण वन संरक्षण पर ही हो सकेगा।
- वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ो का कटान नहीं किये जायेगा या खम्भो को ऊँचा करके उसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटा अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन सरंक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
- यदि नहर आदि निर्माण में भू–रक्षण की सम्भावना होगी है, और नहर की दोनो पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करायेगा।
- ऊपरलिखित मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत सरकार के द्वारा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।
- वन विभाग का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये, जब उक्त शर्तो को पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका सूचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

मैं एस्सार ऑयल लिमिटेड का प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता हूँ कि एस्सार ऑयल लिमिटेड को उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्ते मान्य है तथा उसका पालन किया जायेगा।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
सादाबाद रेन्ज

For Essar Oil Ltd.

क्षेत्रीय वनाधिकारी
हाथरस वन रेन्ज
हाथरस

अनुबन्ध पत्र

एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा मथुरा, सादाबाद के स्टोन 44 से 45 किमी0 के मध्य ग्राम सादाबाद के खसरा न0 10/2, 11/2 ग्राम सादाबाद तहसील सादाबाद जिला हाथरस पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना में भारत सरकार/ प्रदेश सरकार द्वारा भूमि के गैर वानिकी प्रयोगार्थ जो भी नियम व शर्ते है, उनका प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जायेगा तथा स्वीकृति के उपरान्त ही प्रस्तावित स्थल पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
सादाबाद रेन्ज

For Essar Oil Ltd.

प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग
हाथरस

(20)

मथुरा, सादाबाद रोड (MDR 102) के स्टोन 44 से 45 किमी0 के मध्य ग्राम सादाबाद के खसरा न0 10/2, 11/2 ग्राम सादाबाद तहसील सादाबाद जिला हाथरस में प्रस्तावित एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट की स्थापना में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 15.07.2004 में उल्लिखित शर्तो की अनुपालन आख्या

1. प्रवेश एवं निकास मार्ग हेतु प्रस्तावित वनभूमि की लम्बाई एवं चौड़ाई हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन किया गया है।
2. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के मार्ग पर पूर्व दिशा की ओर ......—...... दूरी तथा पश्चिम दिशा की ओर 300 M....दूरी पा पेट्रोल पम्प स्थापित है। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के स्थापित होने पर किसी भी प्रकार का वृक्ष बाधित नहीं होगा और न ही वृक्ष पातन होगा।
3. स्वामित्व वाले विभाग लोग निर्माण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
4. टायलेट, पीने के पानी की सुविधा वनभुमि पर प्रस्तावित नहीं है, प्रस्तावक द्वारा उक्त निर्माण निजी भूमि पर किया जायेगा, शेष का कोई स्कोप नहीं है।
5. उक्त रिटेल आउटलेट एस्सार ऑयल लिमिटेड का है साइन बोर्ड प्रयोक्ता एजेन्सी अपने स्तर से लगायेगी।
6. प्रश्नगत प्रकरण में एक ही पेट्रोल पम्प लगाया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।
7. प्रश्नतगत प्रकरण में कुल 0.0591 है0 संरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है, जिसकी क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या पर ....है0 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराया जाना प्रस्ताव में शामिल किया गया है। उक्त भूमि पर कोई अन्य वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है। इसके साथ–साथ भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन किये जाने में प्रयोक्ता एजेन्सी पूर्णतः वचनवद्ध है।

प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग
हाथरस

क्षेत्रीय वनाधिकारी
सादाबाद रेन्ज

For Essar Oil Ltd.

वचनबद्धता

जनपद हाथरस में मथुरा सादाबाद रोड ( ) स्टोन किमी0 44 से 45 के मध्य वायी पट्टी खसरा न0 10/2, 11/2 ग्राम सादाबाद त0 सादाबाद जि0 हाथरस में विकसित किसे जा रहे एस्सार ऑयल के रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु .... है0। वन भूमि का बिना वृक्षपातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु वचनबद्धता।

प्रस्तावित पैट्रोल पम्प के निर्माण में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र संख्या (**F.No.5-3/2007-FC(P-1)**) दिनांक 18.03.2010 में उल्लेखित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्णतया अनुपालन किया जायेगा।

शर्त संख्या–1 प्रस्तावित पैट्रोल पम्प की स्थापना में आवागमन मार्ग के अतिरिक्त सामने (दोनों भागों के बीच की दूरी) की प्रभावित संरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल लम्बाई ...277.09 Sq.meter

शर्त संख्या–2 प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के अन्दर बाहर के रास्ते को छोड़कर बाकी फ्रन्ट एरिया में छोटे पौधे/शोभाकार पौधों कर रोपण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर किया जायेगा तथा उनका रखरखाव भी किया जायेगा। इस क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य नही कराया जायेगा।

शर्त संख्या–3 प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के चारों तरफ बाउन्ड्री वाल से 1.5 मी0 पर किनारे किनारे 1मी0 × 1.5 मी0 के खाली क्षेत्र में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वृक्षारोपण करा दिया जायेगा तथा उसका रखरखाव भी किया जायेगा।

शर्त संख्या–4 प्रस्तावित पैट्रोल पम्प भारत सरार के पत्र दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है तथा पत्र से सम्बन्धित आख्या/प्रमाणपत्र प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

शासनादेश के अनुसार स्थापित किये जा रहे पेट्रोल पम्प के मार्ग पर पूर्व दिशा की ओर .... तथा पश्चिम दिशा की ओर ....3.00 M.... पर पेट्रोल पम्प स्थापित है। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के स्थापित होने पर भी किसी प्रकार का वृक्ष बाधित नहीं होगा और न ही वृक्ष पातन होगा।

Mukesh Lalla

प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग
हाथरस

क्षेत्रीय वनाधिकारी
सादाबाद रेन्ज

For Essar Oil Ltd.

वचनबद्धता

भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.03.2010 में उल्लेखित शर्त के अनुसार प्रवेश निकासी के मध्य संरक्षित वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर छोटे पौधे शौभाकार पौधों का रोपण एवं उनका रखरखाव करके वन भूमि को विकसित किये जाने हेतु वचनबद्ध है।

प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग
हाथरस

23

प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा मथुरा सादाबाद रोड किमी0 44 से 45 के मध्य ग्रा0 सादाबाद खसरा न0 10/2, 11/2. पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु (आवागमन मार्ग के लिये) अपेक्षित संरक्षित वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जो भी वन विभाग/सक्षम स्तर से निर्धारित किया जायेगा, उसका भुगतान एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा उक्त क्रम में समय – समय पर संशोधन होने पर एस्सार ऑयल लिमिटेड धनराशि का भुगतान किसे जाने हेतु वचनबद्ध है।

प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग
हाथरस

क्षेत्रीय वनाधिकारी
सादाबाद रेन्ज

For Essar Oil Ltd.

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रमुख वनसंरक्षक उ0प्र0 के पत्रांक 1017/23–1 (कोर्ट केस) दिनांक 11.11.2011 के अनुपालन में हाथरस में मथुरा सादाबाद रोड मथुरा एटा मार्ग स्टोन किमी0 44 से 45 के मध्य वायीं पट्टी खसरा न0 10/2, 11/2 ग्राम सादाबाद, तहसील सादाबाद जिला हाथरस में एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट की स्थापना में हाथरस वन प्रभाग में चिन्हित वन स्वरूप भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।

प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग
हाथरस

क्षेत्रीय वनाधिकारी
सादाबाद रेन्ज

For Essar Oil Ltd.

प्रमाण — पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हाथरस में मथुरा सादाबाद रोड (मथुरा एटा मार्ग) स्टोन किमी0 44 से 45 के मध्य वायीं पट्टी खसरा नं0 10/2,11/2 ग्राम सादाबाद, तहसील सादाबाद जिला हाथरस एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट की स्थापना में प्रभावित 0.0591 है0 संरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है तथा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना में किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।प्रस्तावित स्थल का फोटोग्राफ निम्न प्रकार चस्पा किया जा रहा है।

प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग
हाथरस

क्षेत्रीय वनाधिकारी
सादाबाद रेन्ज

For Essar Oil Ltd.

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एस्सार ऑयल लिमिटेड मथुरा–सादाबाद रोड पर स्टोन किमी0 44 से 45 के मध्य पर खसरा सं0 10/2, 11/2 ग्राम सादाबाद, तहसील सादाबाद, जिला हाथरस पर रिटेल आउटलेट का निर्माण प्रस्तावित है। उक्त प्रतिष्ठान के आवागमन के लिए हाथरस वन प्रभाग की 0.0591 है0 संरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है, जोकि न्यूनतम है और उक्त प्रतिष्ठान को क्रियान्वयन करने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
सादाबाद रेन्ज

For Essar Oil Ltd.

प्रभागीय वनाधिकारी
हाथरस वन प्रभाग
हाथरस